कार्यालय पुलिस थाना अरथुना जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक : 2730 दिनांक : 15.09.18

सेवामें,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला बांसवाडा।

विषय : राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद क्रमांक 08183384145645 श्री ज्ञानेशकुमार निवासी बांसवाडा के संबंध में।

प्रसंग : श्रीमान के आदेश क्रमांक 4520 दिनांक 08.09.18 की पालना में।

महोदयजी,

निवेदन हैं कि दिनांक 03.08.18 को अखबार (राजस्थान पत्रिका) में ''अंधविश्वास का फिर कहर, उपचार के नाम पर भोपे ने चौदह माह की बच्ची को गर्म सलाख से दागा, हालत नाजुक'' शीर्शक से छपी खबर पर थाना अरथुना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थानाधिकारी गेहरीलाल गुर्जर ने घटना की खबर संग्रहित की व संबंधित गांव से मालूमात करने पर पाया कि लालपुरा गांव के विनोद खांट पिता वीरजी खांट द्वारा अपनी पुत्री जिसकी उम्र लगभग 14 माह हैं, जिसके बीमार होने से बच्ची की मां व दादी बच्ची को ईलाज हेतु नवाघरा गांव में राधाकृष्ण खांट के पास ईलाज कराने ले गये थे जहां उसकी बच्ची को लोहे के गर्म रॉड से डाम लगाया गया जो राजकीय चिकित्सालय बांसवाडा में ईलाज करा रहा हैं। इस पर मन एसएचओ द्वारा राजकीय चिकित्सालय में स्थित पुलिस चौकी के मार्फत उक्त पीडित लडकी के पिता विनोद खांट से बात की तो उसने बताया कि मेरी बच्ची जो बीमार चल रही है इस पर मैने देशी ईलाज हेतु किसी से पूछा तो उसने नवाघरा निवासी राधेकृष्ण खांट के ईलाज करने वाली बात बताई, तो मेरी पत्नी व मेरी मां रविवार को मेरी बच्ची को नवाघरा ईलाज के लिये ले गये जहां राधाकृष्ण खांट ने ईलाज के नाम पर ''गर्म लोहे की रॉड'' से बच्ची के पीठ में लगभग दो इंच का डाम (दागना) लगा दिया, उसके बाद बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब होने से बांसवाडा अस्पताल लाये हैं। ईलाज के बदले उक्त कथित भोपे ने 100 रू. लिये थे।

वगैरा जानकारी घटनाक्रम जुवेनाईल जस्टीस एक्ट में अपराध होने से प्रकरण संत्र 89/18 धारा 75 जेजे एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान मन एसएचओ गेहरीलाल गुर्जर ने प्रारंभ किया। दौराने अनुसंधान पीडित बच्ची के पिता श्री विनोद पिता विरजी जाति खांट निवासी लालपुरा की उसके सकूनत पर तलाश की जो पिडीत बच्ची के ईलाज में बांसवाडा एवं उदयपुर जाना मालुम हुआ। कथित भोपे श्री राधाकृष्ण खांट निवासी नवाघरा की तलाश की गई। श्री राधाकृष्ण पिता उंकार लाल जाति खांट निवासी नवाघरा को प्रकरण में नेकचलन हेतु धारा 107–151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर न्यायालय से पाबंद कराया गया। प्रकरण में प्रार्थी यानि पीडित बच्ची के पिता विनोद की तलाश कर श्री विनोद पिता विरजी एवं परिवारजन श्रीमती उषा पत्नी विनोद विरजी पिता परतु, श्रीमती वनी पत्नी विरजी जाति खांट निवासी लालपुरा के कथन लेखबद्ध किये । कथनों में सभी ने जाहिर किया कि श्री राधाकृष्ण पिता उंकारलाल जाति खांट निवासी नवाघरा द्वारा छोटी बच्ची सुश्री मुन्नी उम्र 14 माह जो कि बीमार होने से घरेलू देशी ईलाज किया था। श्री राधाकृष्ण ने हमे नुकसान पहुचाने की नियत से कोई ईलाज नही किया। राधाकृष्ण का पेशा कृषि कार्य हैं। उसकी देशी ईलाज की कोई दुकान नही हैं। राधाकृष्ण केवल परिचित लोगो का ही घरेलू देशी ईलाज करता हैं। श्री राधाकृष्ण के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहते। हमारी छोटी बच्ची मुन्नी उम्र 14 माह जो अभी ठीक हैं। हम उसका मेडिकल नही कराना चाहते। भोलेपन में बच्ची के पिता विनोद ने सरकारी अस्पताल में लोगो को जानकारी दे दी हैं। राजस्थान पत्रिका में छपी खबर अनुसार घटना नही हुई हैं। प्रकरण मे अनुसंधान से मामला अदम वकुवा तथ्य की भूल का होना पाया गया।

प्रकरण में एफआर अदम वकुवा तथ्य की भुल मे एफआर नं. 11/30.08.18 में कता की जाकर न्यायालय में पेश की जा रही हैं।

अतः प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट मुर्तिब कर श्रीमान की सेवा में पेश हैं।

भवदीय

थानाधिकारी
पुलिस थाना अरथुना

थानाधिकारी
पुलिस थाना अरथुना
जिला बांसवाडा (राज.)